

DGT-Daff/19/2020-O/o DIR(TC)(MP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 19.10.2020

सेवा में,

Genius Private ITI, (PU23000510)

सुभास निकेतन हाईसकण्डरी स्कूल रन्नौद,

जिला शिवपुरी

मध्य प्रदेश 473871

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस |  
महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 15.10.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपकी आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि की गई है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। (पत्र की प्रति संलग्न) |

1. Genius private iti mis code- PU23000510 पता सुभास निकेतन हाईसकण्डरी स्कूल रन्नौद जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में नियामानों के विरुद्ध संचालित है।
2. जबकि यह आईटीआई पहली बार boy town private iti के नाम से एवं पता kila road bhind dist . bhind pin 477001mp में डीजीटी के आदेश क्रमांक DGT - 5 / 12 / 240 / 2015 - TC दिनांक 25 . 08.2015 को केवल इलेक्ट्रीशियन में यूनिट 6( 2+2+2) के साथ एफिलेशन दी गई थी।
3. उसके बाद आईटीआई को डीएफिलेशन हो गई थी इसके बाद माह जून 2020 में आईटीआई को बिना किसी निरीक्षण के आईटीआई का पता सुभास निकेतन हाईसकण्डरी स्कूल रन्नौद जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश कर दिया एवं टीजीटी के इसी आदेश क्रमांक . DGT - 6 / 12 / 240 / 2015 - TC दिनांक 25 . 08.2015 पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यूनिट 18 (6+6+6) एफिलेशन कर दी गई है।
4. इसी प्रकार डीजीटी के इसी आदेश क्रमांक DGT - 5 / 12 / 240 / 2015 - TC दिनांक 25.08.2015 पर stenographer & secretarial assistant ( Hindi ) ट्रेस नई जोड़ दी जिसमें यूनिट 3( 1+1+1) एफिलेशन कर दी गई है।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये | आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को दिनांक 04.11.2020 तक प्राप्त हो जाना चाहिए | किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी |

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे |

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

—भवदीय  
सुनील कुमार गुप्ता  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है |

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU23000510

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

एच के एंजी. कृपया जारी करे,